



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा-846004

पत्रांक:-.....

दिनांक:-.....

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग,
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सभी प्रधानाचार्य,
(स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय),
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषय:-स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र- 2025-27 में नामांकन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र- 2025-27 में नामांकन हेतु चयन सूची दिनांक- 22.09.2025 को विश्वविद्यालय के वेबसाइट (www.lnmu.ac.in) पर जारी की जायेगी। अभ्यर्थी अपना चयन-पत्र (Selection letter) विश्वविद्यालय के वेबसाइट से यूजर आई-डी एवं पासवर्ड (User I.D and password) के द्वारा लॉग-इन (login) कर डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि चयन सूची से दिनांक:- 23.09.2025 से 27.09.2025 तक अभ्यर्थियों का आवंटित विभाग/महाविद्यालय में नामांकन हेतु सभी आवश्यक अभिलेख सत्यापन कोषांग द्वारा जाँचोपरान्त ही अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। अभिलेख सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नामांकन सुनिश्चित करेंगे:-

1. यह चयन सूची आवेदकों द्वारा आवेदन में भरे गये तथ्यों के आधार पर तैयार की गयी है। अतएव विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि आवेदकों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये तथ्यों की जाँच कर एवं सभी प्रकार के कागजात सही पाये जाने की स्थिति में ही नामांकन की अनुसंशा करेंगे।
2. स्नातकोत्तर में नामांकन CBCS Regulation के तहत लिया जाता है। परिनियम के अनुसार स्नातकोत्तर में नामांकन के लिये संबंधित विषय के प्रतिष्ठा (Honours) में न्यूनतम 45 प्रतिशत/अनुषांगिक (Subsidiary)/सामान्य पाठ्यक्रम (Pass Course)/मातृभाषा MB(Maithili) एवं संबद्ध विषय (Allied Subject) में न्यूनतम 55 प्रतिशत से कम अंक है तो ऐसे अभ्यर्थी नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
3. यदि अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदित विषय में स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्राप्तांक से अधिक अंक भरे हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं लिया जाय।
4. विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य, अभ्यर्थियों का किसी भी परिस्थिति में आवेदित विषय को परिवर्तन कर नामांकन नहीं लेंगे।
5. यदि अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि के अधीन नामांकन हेतु आवेदन किये हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि के प्रमाण-पत्रों की जाँच कर नामांकन लेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण कोटि से इतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं लेगे।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लेंगे। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का नामांकन के समय शुल्क लिया जाता है तो यह राज्यादेश एवं न्यायादेश का उल्लंघन माना जायेगा एवं उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
7. नामांकन के समय अभ्यर्थियों से निम्नांकित अभिलेखों को संलग्न कर नामांकन लेंगे:-
क) कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (CAF)।
ख) चयन-पत्र (सेलेक्शन लेटर)।
ग) मूल अंक-पत्र की छाया-प्रति (स्व-अभिप्रमाणित)।
घ) महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (CLC) की मूल प्रति।
ड) पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियाँ।

च) आरक्षण कोटि प्रमाण-पत्र जहाँ लागू हो (स्व-अभिप्रमाणित)।

छ) आधार कार्ड की छाया-प्रति (यदि हो) (स्व-अभिप्रमाणित)।

ज) दिव्यांग कोटा (PH) के अधीन वैसे अभ्यर्थी नामांकन के पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं सक्षम पदाधिकारी यथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया हो। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रमाण-पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं लिया जाय।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों को ई-मेल के द्वारा डैस-बोर्ड की लिंक भेज दी जायेगी, डैस-बोर्ड से अभ्यर्थियों की चयन सूची डाउनलोड कर मिलान करते हुए अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे।
2. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय नामांकित अभ्यर्थियों का प्रेरण-वर्ग (Induction Programme) आयोजित कर दिनांक-04.10.2025 से वर्ग प्रारंभ करेंगे। प्रेरण-वर्ग (Induction Programme) के कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटो विभाग/महाविद्यालय में संरक्षित कर रखेंगे।
3. विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, नामांकित अभ्यर्थियों का Dash Board पर प्रतिदिन Update करेंगे। Admission Updation के उपरान्त नामांकित अभ्यर्थियों को स्वतः विश्वविद्यालय परीक्षा क्रमांक (University Examination Roll Number) जारी हो जायेगा। Update करने में यदि किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क करें। नामांकित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय के डैस-बोर्ड पर Update दिनांक- 29.09.2025 तक अनिवार्य रूप से कर लेंगे, इसके उपरान्त अपडेशन संबंधी किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. परीक्षा संबंधी विनयमन के अनुसार अभ्यर्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(प्रो0 अशोक कुमार मेहता)

अध्यक्ष, छात्र-कल्याण

दिनांक:- 20/09/2025

ज्ञापांक:- ६०८०-१२७/२५

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव/ वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ।
2. जिला नोडल पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
3. नोडल पदाधिकारी/आई0टी0 सेल (विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु) ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
4. प्रभारी सहायक, स्नातकोत्तर सामान्य शुल्क संग्रह पटल, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
5. निदेशक, संबंधित डाटा सेन्टर, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

अशोक 20.09.25

अध्यक्ष, छात्र-कल्याण

20/9/25